FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–
श्री पोकरराम पुत्र नाथूजी निवासी गिरी, पोस्ट गिरी, वाया सेन्दड़ा, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 120 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00316

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-11-19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 22/11/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1636437 1-11-19
22-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर रेस्पो. लोक सूचना अधिकारी (SDO) रायपुर से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। इस न्यायालय द्वारा लिखा जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक 4165 दिनांक 14-11-2019 के अवगत कराया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। निर्णय दिनांक 28-6-2017 अपील सं० 3882/2016 श्री रामवतार प्रजापति बनाम राज्य लोक सूचना अधि० एवं ADM. जयपुर मे पारित राज्य सूचना आयोग के अनुसरण में खारिज किया गया है। जिसकी सूचना अपीलांट को उनके पत्रांक रीडर/19/सू०अ०/1471 दिनांक 22-9-2019 के द्वारा भिजवा दी गई है। इस अपील के संदर्भ मे मातहत राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का R.T.I. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर सूचना भिजवा दिए जाने से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली बाद फैसला की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर पाली (राज.)	